

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि/विद्यालय अवलोकन/61073/2018-19/142

दिनांक 14.10.2021

उपायुक्त तृतीय (शाला दर्पण)
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

उपनिदेशक (शाला दर्पण)
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
शिक्षा संकुल, जयपुर।


विषय:- शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूलस/रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक- 139 एवं 140 दिनांक-12.10.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि "शाला सम्बलन अभियान" के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारियों एवं राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ ब्लॉक/ पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालय अवलोकन ("शाला सम्बलन मोबाईल एप" के माध्यम से) से संबंधित रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल के आदर्श विद्यालय लॉग-इन "DIRADARSH" पर उपलब्ध करवाने का श्रम करावे ताकि उक्त कार्य (विद्यालय अवलोकन) की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।





जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि/विद्यालय अवलोकन/61073/2018-19/142

दिनांक 14.10.2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
5. उपायुक्त द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि.,राज.,बीकानेर।
7. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
8. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./विद्यालय अवलोकन/61073/2018-19/139

दिनांक : 12-10-2021

कार्यालय आदेश

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन कर संबलन प्रदान किये जाने हेतु वृहद् एवं सघन संबलन कार्यक्रम को "शाला संबलन अभियान" नाम दिया गया है।

राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के संबलन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "शाला सम्बलन मोबाईल एप" विकसित किया गया है। इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को शैक्षणिक प्रक्रियाओं एवं आउटकम आधारित कर डीजीटाईज (Digitize) किया गया है। विद्यालय अवलोकन के दौरान शाला संबलन मोबाईल एप के माध्यम से विश्वसनीय डेटाबेस प्राप्त किया जाना है। जिसका आंकलन कर संबलनकर्ता अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

उक्त के संबंध में शाला संबलन हेतु विभिन्न अधिकारी राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्रांक-रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबलन/2021-22/3911 दिनांक 24/09/2021 द्वारा शाला संबलन अभियान (सत्र 2021-22) हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार (संलग्न) निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:-

1. संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार एक दिवस में अधिकतम 2 विद्यालयों का अवलोकन किया जाए।
2. शाला संबलन मोबाईल एप के माध्यम से सत्रपर्यन्त विद्यालय अवलोकन किये जाने हैं। अवलोकन की मासिक कार्ययोजना निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के समस्त विद्यालयों का नियमित रूप से अवलोकन हो सकें।
3. समस्त अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन एवं संबलन कार्य शाला संबलन एप के माध्यम से ही सम्पादित किया जाना है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./विद्यालय अवलोकन/61073/2018-19/139


दिनांक : 12-10-2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप, जयपुर।

9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में उक्तानुरूप पालना/कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारंभिक शिक्षा।
13. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त डाईट प्रधानाचार्य।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी/ सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
17. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा।
18. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प., जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. राज., बीकानेर।
19. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।




 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक-121 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा निदेशालय स्तर पर नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारियों को "शाला सम्बलन अभियान" के अन्तर्गत विद्यालय अवलोकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्रांक-रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबलन/2021-22/3911 दिनांक 24/09/2021 द्वारा शाला संबलन अभियान (सत्र 2021-22) हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः उपर्युक्त वर्णित नवीनतम दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर समस्त जिला प्रभारियों/सम्बलनकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्यालय अवलोकन संबंधी समस्त कार्यवाही नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही सम्पादित कर प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करें एवं साथ ही इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक-125 दिनांक 21/10/2019 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रभारित जिले से संबंधित अन्य प्रबोधन संबंधी कार्यों का सम्पादन भी किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार


(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./विद्यालय अवलोकन/61073/2018-19/140 दिनांक : 12-10-2021
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में उक्तानुरूप पालना/कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित जिला प्रभारी द्वारा विद्यालय अवलोकन हेतु क्षेत्र परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान वाहन सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारंभिक शिक्षा।
13. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त डार्ट प्रधानाचार्य।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।

कार्यालय का पता:- कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाष:- 0151-2622238 ई-मेल:-dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

16. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी/ सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
17. समस्त जिला प्रभारी, कार्यालय हाजा।
18. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प., जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. राज., बीकानेर।
19. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।



निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2701596

E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक: रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबंलन/2021-22/3911

दिनांक: 24/9/2021

शाला संबंलन दिशा-निर्देश

सत्र 2021-22

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन कर संबंलन प्रदान किये जाने हेतु वृहद् एवं सघन संबंलन कार्यक्रम को "शाला संबंलन अभियान" नाम दिया गया है।

राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के संबंलन हेतु, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "शाला संबंलन मोबाईल एप" विकसित किया गया है। इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को शैक्षणिक प्रक्रियाओं एवं आउटकम आधारित कर डीजीटाईज (Digitize) किया गया है। विद्यालय अवलोकन के दौरान शाला संबंलन मोबाईल एप के माध्यम से विश्वसनीय डेटाबेस, प्राप्त किया जाना है। जिसका आंकलन कर संबंलनकर्ता अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय संबंलन किये जाने के निम्न उद्देश्य हैं -

1. विद्यालय के कमजोर एवं मजबूत पक्षों को जानकर मौके पर ही विद्यालय स्टाफ को संबंलन प्रदान करना।
2. विद्यालय स्टाफ, शिक्षा एवं विद्यालय संबंधी कार्यों की गुणवत्ता को जाँचना।
3. शिक्षण प्रक्रिया एवं शैक्षणिक गतिविधियों को समझना एवं संबंलन प्रदान करना।
4. विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों की गुणवत्ता को समझना।
5. विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

शाला संबंलन हेतु विभिन्न अधिकारियों को परिषद के पूर्व पत्रांक 10840 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार विद्यालय अवलोकन किए जाने हैं -

स्तर	अधिकारी	प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	सत्र में कुल अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	विशेष विवरण
संभाग	संयुक्त निदेशक (JD) स्कूल शिक्षा	7	5	5	56	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय

	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (अकादमिक)	10	10	5	80	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक निदेशक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि/प्रा.शि.)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	कार्यक्रम अधिकारी (समस्त)	11	11	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 1 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
डाईट कार्यालय	प्रधानाचार्य	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	उप प्रधानाचार्य एवं समस्त फ़ैकल्टी (व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF समग्र शिक्षा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – प्रथम	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – द्वितीय	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सन्दर्भ व्यक्ति (समस्त)	15	15	12	138	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक विद्यालय एवं शेष अन्य विद्यालय

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	<ul style="list-style-type: none"> उत्कृष्ट विद्यालय का माह में अनिवार्यतः दो बार अवलोकन। पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का प्रत्येक माह में एक बार (वर्ष में न्यूनतम सात बार) अवलोकन।
--	--	--

संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार एक दिवस में अधिकतम 2 विद्यालयों का अवलोकन किया जाए।

शाला संबलन हेतु विकसित किये गये मोबाईल एप पर इन्द्राज की जाने वाली सूचनाएँ हेतु निर्देश –

1. संबलनकर्ता अधिकारी विद्यालय अवलोकन से पूर्व प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाईल एप डाउनलोड कर अपने मोबाईल में उसे इनस्टॉल करेंगे। मोबाईल एप खोलने के बाद संबलनकर्ता अधिकारी को अपना मोबाईल नम्बर इन्द्राज करना है, जोकि ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जायेगा।
2. भाग-1 में विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे- नाम, एनआईसी कोड, जिला, ब्लॉक इत्यादि के साथ संबलनकर्ता अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मोबाईल नम्बर इत्यादि भरी जानी है।
3. भाग-2 में बिन्दु संख्या 2.1 से 2.3 तक संबलन दिवस पर उपस्थित/अनुपस्थित शिक्षकों की स्थिति की सूचना भरी जानी है।
4. भाग-3 में बिन्दु संख्या 3.1 से 3.8 तक "आओ घर में सीखें" कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति की सूचना भरी जानी है। यह भाग कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में ही प्रदर्शित होगा।
5. भाग-4 के बिन्दु संख्या 4.1 में कक्षा 1-5, 6-8, 9-10, 11-12 में नामांकित विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जानी है। इस हेतु नामांकन मोबाईल एप में स्वतः प्रदर्शित होगा। बिन्दु संख्या 4.2 में लिंगवार कुल उपस्थिति दर्ज की जानी है। बिन्दु संख्या 4.3 में किसी भी एक कक्षा की उपस्थिति का उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार भौतिक सत्यापन कर सूचना इन्द्राज करनी है।
6. भाग-5 के कुल चार खण्ड हैं। Part A के बिन्दु संख्या 5A.1 से 5A.8 तक उपचारात्मक शिक्षण संबंधित सूचनाएँ भरी जानी है। Part B के बिन्दु संख्या 5B.1 से 5B.13 तक कक्षा कक्षीय शिक्षण (ग्रेड 1-8) से संबंधित सूचनाएँ भरी जानी है। Part C के बिन्दु संख्या 5C.1 से 5C.9 तक कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों के लिए किये गये अकादमिक कार्यों से संबंधित सूचनाएँ भरी जानी है। Part D के बिन्दु संख्या 5D.1 से 5D.5 तक राज्य में संचालित बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यों की सूचनाएँ भरी जानी है।
7. भाग-6, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जाँच हेतु बनाया गया है। इस भाग का नाम "स्पॉट चैक" दिया गया है। इस भाग में संबलनकर्ता द्वारा एक कक्षा के किसी भी दो विषयों में दो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच कर सूचनाएँ भरी जानी है। शैक्षिक स्तर की जाँच हेतु विद्यार्थियों की NIC ID कक्षा अध्यापक से जानकारी कर पूर्ण की जानी है। शैक्षिक स्तर की जाँच के दौरान मोबाईल एप में कक्षा एवं विषय का चयन करते ही बहुविकल्पीय/ हाँ-नहीं उत्तर वाले प्रश्न प्रदर्शित होंगे। इन प्रश्नों को विद्यार्थी से पूछ कर उनके द्वारा दिये गये उत्तर को भरा जाना है।
8. भाग-7 के बिन्दु संख्या 7.1 से 7.8 में विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की स्थिति की जाँच कर सूचनाएँ भरी जानी है।

9. भाग-8 के बिन्दु संख्या 8.1 से 8.9 में विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की जाँच कर सूचनाएँ भरी जानी है।
10. भाग-9 में संबलन हेतु चयनित किये गये विद्यालय के प्रकार अनुसार सूचनाएँ इन्द्राज की जानी है। बिन्दु संख्या 9.1 से 9.7 तक यदि विद्यालय में आईसीटी लैब संचालित है तो उससे संबंधित सूचनाएँ भरी जानी है। इसी प्रकार बिन्दु 9.9 से 9.11 में मॉडल स्कूल, बिन्दु संख्या 9.12 से 9.14 में केजीबीवी, बिन्दु संख्या 9.15 से 9.17 में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सूचना भरी जानी है।
11. भाग-10 के कुल तीन खण्ड है। भाग 10A में शिक्षकों को किस क्षेत्र में समर्थन की आवश्यकता है, उसकी सूचना इन्द्राज की जानी है। भाग 10B के बिन्दु संख्या 10.3a से 10.5c में विद्यालय के सुधार हेतु आवश्यक तीन प्राथमिकताओं का चयन कर सूचना भरी जानी है। भाग 10C के बिन्दु संख्या 10.6a से 10.6g में संबलनकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय को फीडबैक प्रदान किया जाना है। इस हेतु विद्यालय के विभिन्न आयामों में किये गये कार्यों पर सुधार की आवश्यकता/सन्तोषप्रद/अच्छा/उत्कृष्ट का कोड दर्ज करना है।
12. भाग-11 में संबलनकर्ता अधिकारी द्वारा किया गये विद्यालय अवलोकन के सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित सूचनाएँ भरी जानी है।
13. प्रत्येक भाग में सूचनाएँ संख्यात्मक, ड्राप डाउन से चयन, चेकबाक्स से चयन, कैलेण्डर द्वारा, संबंधित कोड के माध्यम से भरी जानी है।
14. यह मोबाईल एप ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों में क्रियाशील है।
15. एप में सूचनाओं की प्रविष्टि के उपरान्त सर्वर पर डाटा अपलोड किया जाना है।

शाला संबलन मोबाईल एप के माध्यम से सत्रपर्यन्त विद्यालय अवलोकन किये जाने है। अवलोकन की मासिक कार्ययोजना निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के समस्त विद्यालयों का नियमित रूप से अवलोकन हो सके।

नोट :- समस्त अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन एवं संबलन कार्य शाला संबलन एप के माध्यम से ही सम्पादित किया जाना है।

(डॉ. भंवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/शाला संबलन/2021-22 3911

दिनांक 24/9/20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा./प्रा. शिक्षा समस्त जिले।
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. प्रधानाचार्य, डाइट समस्त जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
13. कार्यालय प्रति।

अति. राज्य परियोजना निदेशक